


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>प्रकरण संख्या 20/2025 गोपाल पुत्र लादु माली बनाम ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र पुरोहित</p>	<p>नम्बर तारीख अहका इस तामील जारी</p>
<p>11.11.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के पत्र क्रमांक रीडर/2025 दिनांक 11.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत कराया गया कि उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 149/2024 वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राटिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा चाही जाने पर मूल पत्रावली ही इस न्यायालय के पत्र क्रमांक रीडर/2025/2132 दिनांक 14.10.2025 से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने से उक्त प्रकरण को वर्तमान स्थिति अनुसार अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना का मामला नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे।</p> <p style="text-align: center;">         (जसमीत सिंह संधू)        जिला कलक्टर        भीलवाड़ा     </p>	